DoIT
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

# राजस्थान सरकार
## सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग

क्रमांकः— एफ.2(7863) /डी.ओ.आई.टी./संस्था/19/04667/2020 जयपुर,दिनांक 15/10/2020

**अनापत्ति प्रमाण पत्र**

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नलिखित सूचना सहायकों ने उनके नाम के सम्मुख अंकित निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है:—

| क्र स | मेरिट न/रोल न | नाम श्री/श्रीमती/सुश्री | पदस्थापित विभाग | परीक्षा का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 223582 | आशा राम भामू | जिला कार्यालय, सू. प्रौ. और संचार विभाग, चूरू | Enforcement Officer/Account Officer comp. Exam-2020 |
| 2 | 2369 | छत्रपाल | कार्यालय डी. आर. साईट, सू. प्रौ. और संचार विभाग, जोधपुर | ACF & FOREST RANGE OFFICER COMP. EXAM(RPSC)] |

उपर्युक्त सूचना सहायकों को उपर्युक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम, 1971 के नियम—17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:—

1. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हे परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।
3. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
4. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
5. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
7. उक्त शर्तो की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरूद्व कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क—3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

(विवेक कुमार)
विशेषाधिकारी (यूआईडी)
एवं प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष......................................................।
2. संबंधित कार्मिक ......................................................................................।
3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।

विशेषाधिकारी (यूआईडी)
एवं प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)